राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 741/2009

डॉ. ठाकुर जेसवानी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, निदेशालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, अजमेर रेंज, अजमेर।
5. भगवान लाल गुप्ता, भेड़ एवं बकरी विकास अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक, पशुपालन, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 07.09.2009

आदेश की दिनांक : 12.10.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री एस.के.सक्सेना, अभिभाषक

प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.07.2009 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की सेवा अवधि की गणना नियम 1963 के नियम 27 के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए वरिष्ठता की गणना

दिनांक 18.07.1987 से करने के आदेश दिए जावें और अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 30.12.2008 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर अंकित किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.06.1987 को भेड ऊन प्रसार अधिकारी के पद पर हुई थी। दिनांक 11.04.1989 को नियमानुसार वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 99 पर और प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 101 पर दर्शाया गया। आदेश दिनांक 15.11.1989 एवं आदेश दिनांक 08.12.1989 के द्वारा अपीलार्थी को पशु सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर नियुक्ति की गई। दिनांक 07.09.2000 को नियम 27 के अंतर्गत वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 179 पर दर्शाया गया और अपीलार्थी का कार्यग्रहण दिनांक 18.07.1987 दर्शाया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 25.03.2001 को प्रार्थना पत्र देते हुए अनुरोध किया कि यदि अपीलार्थी को कोई आर्थिक हानि होती है तो उसे वापस पैतृक विभाग भेज दिया जाए। दिनांक 13.06.2008 को विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 119 पर तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 का नाम क्रम संख्या 37 पर दर्शाया गया। जबकि वह अपीलार्थी से कनिष्ठ है, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने आपत्ति प्रस्तुत की। परंतु विभाग ने बिना विचार किए अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 30.12.2008 को जारी की। उनका कथन है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन को दिनांक 23.07.2009 निरस्त कर दिया गया। जबकि संशोधन नियम 27 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि –

> *"**Amended Rule 27-** After the existing proviso (11) to Rule 27 of the said Rules, the following new proviso (12) shall be inserted, namely -*
>
> ***(12) that after the merger of the Department of Sheep and Wool the Department of Animal Husbandry, the interse seniority of persons covered under clause (v) of sub-rule (1) of the Rule 4 shall be determined from the their regular selection on the post in respective departments, if the date of regular selection of such persons is the same, then the seniority interse shall be determined on the basis of the date of their regular selection on the lower post in the cadre."***

उपरोक्त नियम के बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की वरिष्ठता को नियमानुसार वरिष्ठता प्रदान नहीं की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.07.2009 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी की सेवा अवधि की गणना नियम 1963 के नियम 27 के अंतर्गत पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए वरिष्ठता की गणना दिनांक 18.07.1987 से करने के आदेश दिए जावें और अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 30.12.2008 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर अंकित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि पशु चिकित्सा अधिकारियों की आदेश दिनांक 07.09.2000 द्वारा जारी अंतरिम वरिष्ठता सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग से पशु चिकित्सा अधिकारियों के पद पर चयनित होने पर मेरिट के आधार पर जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम मेरिट संख्या 61 पर नियमानुसार सही स्थान लिया गया है। भेड व ऊन विभाग का पशु पालन विभाग में विलय होने पर पशु पालन सेवा एवं भेड व ऊन विभाग की सेवा के अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण शासन द्वारा जारी राजस्थान पशु पालन सेवा नियम 27(12) के अनुसरण में किया गया है। अपीलार्थी को पशु पालन विभाग में नियमित नियुक्ति की दिनांक, आरपीएससी की मेरिट संख्या के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण नियमानुसार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार से नियमों की अवहेलना अपीलार्थी स्थापित करने में असफल रहा। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 11.06.1987 को भेड ऊन प्रसार अधिकारी के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा हुई थी। आदेश दिनांक 15.11.1989 एवं आदेश दिनांक 08.12.1989 के द्वारा अपीलार्थी को पशु सहायक शल्य चिकित्सक के पद पर नियुक्ति की गई, जिसमें आरपीएससी के पत्र दिनांक 15.11.1989 के द्वारा अपीलार्थी को मेरिट संख्या 61 अंकित की गई। परंतु विभाग

द्वारा नियम 27 के अंतर्गत दिनांक 07.09.2000 को वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 179 पर दर्शाया गया और उसका कार्यग्रहण दिनांक 18.07.1987 दर्शाया गया। दिनांक 13.06.2008 को विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 119 पर तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है, का नाम क्रम संख्या 37 पर दर्शाया गया। जहां तक अपीलार्थी की वरिष्ठता का निर्धारण प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार नहीं किए जाने का प्रश्न है, प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 11.06.1987 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति आरपीएससी की सिफारिश पर भेड व ऊन प्रसार अधिकारी/कृत्रिम गर्भाधान प्रसार अधिकारी, भेड व ऊन विभाग, राजस्थान के पद पर की गई है, जिसमें वरियता क्रमांक 4 भी दर्शायी गई है तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 डॉ. भगवान लाल गुप्ता जिसकी वरियता क्रमांक 6 दर्शायी गई है। इससे स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक है। राज्य सरकार द्वारा उक्त विभाग का विलय पशुपालन विभाग में हो जाने पर आदेश दिनांक 08.12.1989 के द्वारा आरपीएससी की सिफारिश पर राजस्थान पशु पालन सेवा नियम, 1963 के नियम 22 के प्रावधानों के अनुसार अपीलार्थी को पशु सहायक शल्य चिकित्सक/पशुपालन प्रसार अधिकारी, पशुपालन विभाग, राजस्थान के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, जिसमें अपीलार्थी की मेरिट संख्या 61 दर्शायी गई है। जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.12.2008 के द्वारा अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी की वरिष्ठता क्रमांक 61 और निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 की वरिष्ठता क्रमांक 6 दर्शायी गई है। जबकि संशोधन नियम 27 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है जो निम्न प्रकार है –

> *"**Amended Rule 27-** After the existing proviso (11) to Rule 27 of the said Rules, the following new proviso (12) shall be inserted, namely -*
>
> ***(12) that after the merger of the Department of Sheep and Wool the Department of Animal Husbandry, the interse seniority of persons covered under clause (v) of sub-rule (1) of the Rule 4 shall be determined from the their regular selection on the post in respective departments, if the date of regular selection of such persons is the same, then the seniority interse shall be determined on the basis of the date of their regular selection on the lower post in the cadre."***

इस प्रकार हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी की गई अंतरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 30.12.2008 उक्त नियमों एवं प्रावधानों के विपरीत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 23.07.2009 को अपास्त फरमाया जाता है एवं वरिष्ठता सूची दिनांक 30.12.2008 को भी अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त नियमों एवं प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी की वरिष्ठता का सही निर्धारण कर वरिष्ठता सूची जारी की जावे।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य